समूह-I– अनुमोदन एवं अनुशंसा वांछित मदें

एसी:09:01	**अध्यक्ष द्वारा बैठक व्यवस्थित बतलाया जाना**

कार्यवृत्त:

9.01.1 अध्यक्ष महोदय ने बैठक व्यवस्थित बतलाया।

एसी:09:02	**मृत्यु-सूचना संदर्भ**

कार्यसूची टिप्पणी:

9.02.2 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना परिषद के समक्ष गहरी संवेदना के साथ लाई गई:

1. श्रीनावांग गोमबु, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी परिषद का सदस्य.
2. श्री सत्यसाईं बाबा, धार्मिक गुरु एवं मानव-प्रेमी.
3. श्री अजित भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित पत्रकार एवं लेखक
4. श्री अर्जुन सिंह, पूर्व मानव संसाधन विकाश मंत्री, भारत सरकार

इसके अतिरिक्त जापान में हाल में हुए भूकंप एवं सुनामी को भी गहरे शोक एवं संवेदना के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवृत्त:

9.02.2 सदन ने गहरे शोक के साथ लोक-नायकों की मृत्यु सूचना/ जापान में हाल के भूकंप एवं सुनामी द्वारा हताहतों को नोट किया। दिवंगत आत्माओं के प्रति आदर व्यक्त करते हुए सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया।

एसी:09:03	**कुलपति द्वारा कार्य-निष्पादन का उल्लेख**

कार्यवृत्त:

9.03.1 कुलपति ने दिनांक 28.03.2011 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर अपना प्रेक्षण प्रस्तुत किया। सदन ने समग्र रूप से रिपोर्ट किए गए कार्य-निष्पादन उल्लेखों के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया। माननीय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई:

9.03.2 <u>प्रो. रवि श्रीवास्तव</u> उल्लेख किया कि कुलपति के प्रस्तुतीकरण में उनकी आत्मा और दिल दिखाई पड़ता है। एक छोटे एवं प्रतिबद्ध दल से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं तथा कठिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए शुभकामना दी।

9.03.3 **<u>प्रो नीलिमा देशमुख</u>** ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय ने आरंभ से ही क्रमिक प्रगति की है।

9.03.4 <u>डा. जी एस योंगजोन</u> ने कहा कि शैक्षणिक परिषद विचारशील गतिविधियों के लिए कुलपति के साथ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों की संख्या एवं प्रकृति मेन पिछले दिनों द्रुतगति से वृद्धि हुई है। वास्तविक श्रमशक्ति अत्यल्प होने के बावयुद भी विश्वविद्यालय के आदर्श एवं उपलब्धियां अत्यधिक हैं।

9.03.5 <u>प्रो वाई आर रेड्डी</u> ने हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने अनुभवों का वर्णन किया। . एक स्तर तक पहुँचने में उन्हें 20 वर्ष लगे। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्माण के आरंभिक वर्षों मेंहैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने देश भर के उच्चश्रेणी नागरिकों से विश्वविद्यालय के साथ जुडने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा, एवं तदनुसार विश्वविद्यालय के लिए सर्वोत्तम विद्वानों को इकट्ठा किया। केंद्रीय उपकरणिका सुविधाओं मात्र की स्थापना में 7 वर्ष से अधिक समय लगे।सिक्किम विश्वविद्यालय के मामले में इनके पास स्थानिक लाभ अवाम हानियाँ दोनों हैं। उन्होंने अध्यक्ष से देश भर में नए चेहरे कि खोज करने का अनुनय किया एवं प्रत्येक शास्त्र के विकाश हेतु अग्रणीयों को पत्र लिखने एवं नियुक्त करने को कहा।हालांकि सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रक्षेपण, सहायक प्रोफेसर के स्तर पर संकाय सदस्यों के साथ बहुत उच्च है, परंतु उन्हें प्राप्त कर पाना कठिन होगा। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि उच्च श्रेणी के संकाय सदस्यों के लिए कुलपति अन्य विश्वविद्यालयों को पत्र लिखें तथा अंतर्वाता सदृश औपचारिकताओं के वगैर उन्हें नियुक्त करें। माध्यम श्रेणी के संकाय वहुधा संकटपूर्ण होते हैं। सामान्य प्रणाली से बाहर प्रतिष्ठित संकाय को आकर्षित करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय को सभी प्रयास करना चाहिए। भर्ती हेतु मात्र विज्ञापन काफी नहीं होगा विश्वविद्यालय को इसके लिए कुछ जोखिम भी उठाना पड़ेगा।

जहां तक केंद्रीय उपकरणीय सुविधाओं का संबंध है, उन्होंने उल्लेख किया कि वितरित शक्ति प्रणाली बहुत आवश्यक है जिसपर विश्वविद्यालय को विचार करना चाहिए।

9.03.6 डा.जी एस योञ्जोन ने उल्लेख किया कि वर्तमान शैक्षणिक परिषद का कार्यकाल समाप्त होने पर विश्वविद्यालय इनके सदस्यों को आगंतुक पदों पर आमंत्रित करने पर विचार कर सकता है।

9.03.7 <u>प्रो. जेपी शर्मा</u> ने उल्लेख किया कि अबतक सिक्किम विश्वविद्यालय ने जो प्राप्त किया है कई केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा वे कई केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद में रहने के कारण कह सकते हैं। विश्वविद्यालय पूर्ण पारदर्शिता का अनुपालन करता है, जिसके लिए वे कुलपति

को दस मेंसे दस अंक देना चाहेंगे। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय से उन्होंने बहुत कुछ सीखा।

9.03.8 **<u>प्रो.नीलिमा देशमुख</u>** ने कुलपति तथा उनके दल द्वारा किए गए उत्कृष्ठ एवं अतिविशाल कारी हेतु अपनी सराहना अभिलेखित किया। उन्होंने जानना चाहा कि सदस्यगण कबतक विश्वविद्यालय के साथ भविष्य में सहयोजित रहेंगे।

9.03.9 **<u>प्रो.तीस्ता बागछि</u>** ने कहा कि अन्य कुलपतिगण भी सिक्किम विश्वविद्यालय के वीसी की सक्रियता की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पूछा कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के लिए यूनिफ़ार्म क्यों है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुख्यतः अनुशासन के निमित्त ये यूनिफ़ार्म वास्तविक रूप में एकमुश्त प्रस्ताव में न शामिल हों, जहां ये अनावश्यक बोझ बन जाएँ।

9.03.10 **<u>अध्यक्ष महोदय</u>** ने विमर्श का समापन करते हुए कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय में सभी उत्सर्ग के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी बहुत ही अनुशासनप्रिय थे, यहाँ तक कि उनके बच्चों के केश भी अनुशासनपूर्ण तरीके से काटे जाते थे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में उनके सहकर्मीगण, संकाय एवं प्रबंधन सहित सभी अनुशासनप्रिय हैं तथा दृढ़ धारणा के साथ कारी करते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि एकबार नई दिल्ली में मानव संसाधन विकाश के माननीय मंत्री के निजी सचिव ने अभिमत दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति सम्पूर्ण देश में अकेले कुलपति हैं, जिंका कि मंत्री महोदय के साथ मुलाक़ात के दौरान कोई शिकायत नहीं रहती है, वे सिर्फ उपलब्धियों एवं चुनौतियों का उल्लेख करते हैं। अध्यक्ष ने प्रशंसा किया कि विश्वविद्यालय के दूसरे शैक्षणिक परिषद में इस प्रकार का राष्ट्रीय संघटन नहीं भी रह सकता है, जब इसका संगठन किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश सुझावों का कार्यान्वयन किया गया है, तथा भविष्य में भी वे ऐसा ही करेंगे। उन्होंने देश के सर्वोत्तम श्रमशक्ति को नियुक्त करने का भरोसा दिया, भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी का चयन करने के पूर्व कई स्तरों में अल्प-सूचिकरण किया जाएगा, चाहे वे शिक्षण अथवा गैर-शिक्षण के लिए हों। सम्बद्ध महाविद्यालयों में यूनिफ़ार्म के संबंध में, विश्वविद्यालय किसी प्रकार से संलग्न नहीं था, क्योंकि यूनिफ़ार्म पहनने के लिए यह निर्णय कथित महाविद्यालय का था।

9.03.11 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ अध्यक्ष ने एकबार पुनः सम्मानित सदस्यों का उनके बहुमूल्य प्रेक्षणों / सुझावों / टिप्पणियों एवं अवदानों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

एसी:09:04	शैक्षणिक परिषद की दिनांक 28.03.2011 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त:

9.04.1 कार्यसूची के साथ संलग्न अनुलग्नक 9-01 के अनुसार दिनांक 28.03.2011 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर सदन द्वारा विचार एवं पुष्टि की गई।

एसी:09:05	शैक्षणिक परिषद की दिनांक 28.03.2011 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई

कार्यवृत्त:

9.05.1 कार्यसूची के साथ अनुलग्नक 8-02 के रूप में संलग्न दिनांक 28.03.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट पर सदन द्वारा विचार विमर्श किया गाय। विचार विमर्श के दौरान सम्मानित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

9.05.2 **प्रो. ए आर रेड्डी** ने जानना चाहा कि एकीकृत प्रोग्राम के मामले में, जब कोई छात्र बीएससी स्तर से बाहर होता है, उन्हें कौन सी डिग्री प्राप्त होगी। यदि ऐसा छात्र सिक्किम विश्वविद्यालय के बीएससी से बाहर निकलता है तथा किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट एमएससी के लिए आवेदन करता है, तो क्या उनके लिए वहाँ नामांकित होना संभव होगा?उन्होंने आगे जानना चाहा कि विश्वविद्यालय ने एकीकृत बीएससी-एमएससी पाठ्यक्रम लागू करना क्यों उचित माना।

9.05.3 इसपर **अध्यक्ष** ने उत्तर दिया कि इन मुद्दों पर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति मौन है। वास्तव में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के कुछ मौलिक पैरामीटर भी सिक्किम सरकार के ऐसे मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं। एकीकृत बीएससी-एमएससी के एमएससी पाठ्यक्रमों में एकीकरण पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि पाठचर्याएँ भिन्न एवं स्वतंत्र हैं।

9.05.4 **प्रो.रेड्डी** ने उल्लेख किया कि बीएससी के बाद छात्र किसी भी पीजी डिग्री का चयन कर सकते हैं। पार्श्विक प्रविष्टि हेतु भी प्रावधान होना चाहिए। इसके द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के बीएससी डिग्री के साथ कोई छात्र सिक्किम विश्वविद्यालय में एमएससी पाठ्यक्रम हेतु नामांकन ले सकता है। इसपर अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे मुद्दों साथ ही क्रेडिट अंतरण के मामले को सिक्किम विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किया गया है, जिस पर बृहत राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। उनहोंने आगे कहा कि एकीकृत पाठ्यक्रमों के मामले में छात्रों के लिए एक अलग कैंपस, परामर्शदाता, मेस, लैब आदि होंगे ताकि उन्हे सभी प्रकार के वैज्ञानिक पर्यावरण का साहचर्य मिले।एकीकृत पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय मे ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए ताकि वे सदैव वैज्ञानिक पर्यावरण में रहें। इसके द्वारा छात्रगण वैज्ञानिक पर्यावरण में निवास तथा कारी कर सकते हैं।

9.05.5 प्रो.नीलिमा देशमुख ने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय पुकारे जाने की अपेकषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपने नाम परिवर्तन के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यह आवश्यक

क्योंकि यहाँ विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय सदृश विश्वविद्यालय हैं। इस विषय के ऊपर विमर्श में प्रो. जेपी शर्मा ने भी भाग लिया।

प्रो.देशमुख ने कहा किविश्वविद्यालय एसयू के संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित होने तथा इसी अधिनियम में नाम रखे जाने का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को लिख सकता है। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्रालय को भी लिख सकता है। यदि विश्वविद्यालय "सिक्किम विश्वविद्यालय" के वर्तमान नाम कि निरंतरता को इच्छुक है तो सभी स्थानों पर नाम के नीचे "[संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित]" वाक्य का उल्लेख किया जा सकता है।

9.05.06 प्रो. जेपी शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय से पूछे कि उनलोगों ने सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम का नकल क्यों किया और उनपर विधिक कार्रवाई आरंभ की जाए।

9.05.07 अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। तत्पश्चात, सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत अनुवर्त्ति कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी:09:06	**बीबीए-एमबीए हेतु पाठ्यक्रम की समीक्षा**

कार्यवृत:

9.06.1 सदन ने कार्यसूची मद साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त पाठचर्या विकास समिति के विशेषज्ञ सदस्यों के दृष्टिकोण पर विचार किया। विशेषज्ञों के विचारों की समीक्षा करने के उपरांत, सदन ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय पाठचर्या की समीक्षा पर इनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करे।

एसी:09:07	**क्रियाविधि संहिताओं का निर्माण**

कार्यवृत:

9.07.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विभिन्न क्रियाविधि संहिताओं के ड्राफ्ट प्रारूपों पर विचार एवं समीक्षा किया एवं संस्थान की विभिन्न गतिविधियों को वैज्ञानिक तथा अनुसरण करने में आसान तरीके से प्रक्रियागत करने के लिए अपनी प्रशंसा भी अभिलेखित किया। संहिताकरण की यह संस्कृति इस विश्वविद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

9.07.2 प्रो. जेपी शर्मा ने उल्लेख किया कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है तथा उनहोंने माना कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित संहिताओं को देखकर वे हर्षित हैं।

9.07.3 आंतरिक गुणता आश्वासन कक्ष की संहिता के मामले में सदन ने सुझाव दिया कि इस विषय पर यूजीसी के मार्गदर्शनों का उल्लेख संहिता की अंतर्वस्तु से अलग किया जाये। प्रो. रवि श्रीवास्तव ने माना कि आइक्यूएसी का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, तथा आरंभ से ही यह आवश्यक होगा कि पठन-पाठन प्रक्रिया को उत्तरदायी एवं उपयोगी बनाने के लिए संकाय-छात्रों के फीड-बैक लिया जाये। यह आवश्यक है कि पठन प्रक्रिया में छात्र भागीदारी (एसपीएलपी) की डिजाइनिंग इसी स्टार पर की जाए।

एसी:09:08	**मूल्यांकन पैटर्न से संबन्धित खंड के प्रति परीक्षा - संशोधन पर अध्यादेश**

कार्यवृत:

9.08.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

एसी:09:09	**परीक्षा पर अध्यादेश- "अनुचित साधनों" से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन**

कार्यवृत:

9.09.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

9.09.2 ऐसा करते समय, **प्रो.रवि श्रीवास्तव** ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय इस संबंध में "विंडमील" साफ्टवेयर एम.फिल/पीएचडी में संलग्न "साहित्यिक चोरी" सदृश "अनुचित साधनों" को खोजने की दृष्टि से प्राप्त करे। यह भी उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय इस मुद्दे पर विनियमावली आदि के निर्माण हेतु "आचार-समिति" का गठन भी करे।

9.09.3 **अध्यक्ष** ने सदन के सदस्यों से पूछा कि क्या विश्वविद्यालय आंतरिक गुणता प्रबंधन के एक अंग के रूप में आचार संहिता रख सकता है। इसपर, **प्रो.श्रीवास्तव** ने हाँ में उत्तर दिया एवं कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण अवस्था में ही ऐसे प्रावधान होने चाहिए।

9.09.4 **प्रो.एआर रेड्डी** ने उल्लेख किया कि पुणे विश्वविद्यालय में एक क्लासिक मामला है। इसमें दो शोध छात्रों ने एक ही डेटा एक ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भिन्न भिन्न तारीखों में प्रकाशित करवाया। शोध पत्रों में अनुचित साधनों पर नियंत्रण का एक मार्ग यह कि विश्वविद्यालय एक घोषणा प्राप्त करे कि

"रचना मौलिक तथा अन्यत्र अप्रकाशित है"। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हालांकि भारी साहित्यिक चोरी पकड़ी जा सकती है परंतु सूक्ष्म चोरी नहीं।

एसी:09:10	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- सुधार पत्र हेतु शुल्क लगाया जाना**

कार्यवृत्त:

9.10.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

एसी:09:11	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन- परियोजना/ शोध-प्रबंध हेतु शुल्क लगाया जाना**

कार्यवृत्त:

9.11.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

एसी:09:12	**परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन - सुधार पत्र**

कार्यवृत्त:

9.12.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

एसी:09:13	**परियोजना कार्य / शोध-प्रबंध हेतु मार्गदर्शन**

कार्यवृत्त:

9.13.1 सदन ने संशोधन पर विचार किया तथा इसे कुलपति द्वारा आगे कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। सदन ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय द्वितीय कार्यकारी परिषद से, गठन के पश्चात कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करे।

9.13.2 ऐसा करते समय, **प्रो.एआर रेड्डी एवं प्रो.रवि श्रीवास्तव** ने कहा कि बीएससी-एमएससी पाठ्यक्रम को बीएससी/एमएससी के तौर पर उल्लेखित किया जाए, यद्यपि ये पाठ्यक्रम एकीकृत प्रोग्राम हैं, ताकि किसी छात्र के लिए बीएससी के बाद एक डिग्री के साथ बाहर निकलने का प्रावधान रहे, तथा अन्य एमएससी स्तर पर प्रवेश ले सकें। **प्रो जेपी शर्मा** ने इसका समर्थन किया।

9.13.3 अध्यक्ष महोदय ने सदन के सुझाव पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

एसी:09:14	**सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ अंतरक्रियात्मक सत्र**

कार्यवृत्त:

9.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसकी अंतर्वस्तु को नोट किया। अध्यक्ष ने सदन के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के साथ अंतर्प्रातिक्रियात्मक सत्र के इस मंच का उपयोग करके गुणता एवं फीड-बैक पद्धति के प्रवर्धन हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों को भी स्पष्ट किया।

9.14.2 **प्रो.एआर रेड्डी** ने पूछा की क्या निजी महाविद्यालय शुल्क संग्रहण के बारे मेन विश्वविद्यालय को सही आंकड़ा दे रहा है, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया।

एसी:09:15	कैंद्रीय विद्यालय की स्थापना

कार्यवृत:

9.15.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। मुद्दे पर चर्चा के दौरान, डा.जीएस योञ्जोन ने पूछा कि यह परियोजना सिक्किम विश्वविद्यालय से किस प्रकार संबन्धित है। इसपर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि हमारे कर्मचारियों के सहायतार्थ एवं क्षेत्र के सामान्य नागरिक के लिए एक केंद्रीय विद्यालय आवश्यक है। आगे चलकर केंद्रीय विद्यालय से विश्वविद्यालय को अत्यधिक लाभ होने वाला है। इसमें स्कूल स्तर पर गुणता शिक्षा शामिल है, साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से संकाय सदस्यों के प्रतिधारण में भी सहायक होगा। आगे अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय में इसके लिए सामुदायिक रेडियो एवं कैंपस संग्रहालय की स्थापना में प्रयासों के बारे में बतलाया। प्रो. रेड्डी ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय में दस्तावेजों सहित मूल्यवान एवं आर्किव सामग्रियों को रखने के लिए अग्निरोधी गोदरेज सेफ होना चाहिए। अध्यक्ष ने इसपर विचार करने का आश्वासन दिया।

एसी:09:16	रेनौक, पूर्व सिक्किम स्थित माडेल डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

कार्यवृत:

9.16.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसे नोट किया।

एसी:09:17	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म- वार्षिकी

कार्यवृत:

9.17.1 कार्यसूची मद पर सदन में विचार किया गया। **प्रो.तीस्ता बागछि एवं प्रो. एआर रेड्डी** ने अध्यक्ष से पूछा कि विश्वविद्यालय में गुरुदेव की 150वीं जन्म-वार्षिकी किस प्रकार मनाने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय ने वाद-विवाद आयोजित करने की अपेक्षा दार्जिलिंग के मोंगपू में उनके अवदानों के संदर्व में पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इसपर, **प्रो.तीस्ता बागछि** ने पूछा कि क्या दार्जिलिंग में समारोह मनाना उचित होगा। इसपर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि कालिम्पोङ्ग केंद्र पूर्णतः जीरनावस्था में है, अतः इसकी मरम्मती में विश्वविद्यालय द्वारा अवदान गुरुदेव के विद्वतापूर्ण संग्रह के पुनरुद्धार में सहायक होगा। **प्रो.एआर रेड्डी** ने सुझाव दिया कि भाषाओं के स्कूल में एक "रवीन्द्रनाथ टैगोर केंद्र" होना चाहिए। **प्रो वाईडी प्रसाद** ने बिहार विरासत एवं विकास द्वारा किए गए अनुसार सिक्किम के धरोहरों के सूचीयन का कार्य किए जाने का विचार रखा।

9.17.2 उपरोक्त विचार विमर्श के साथ सदन ने कुलपति को गुरुदेव कि 150वीं जन्म-वार्षिकी समारोह की योजना पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया।

समूह II- संपुष्टि हेतु मदें

एसी:09:18	हेलसिंकी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू

कार्यवृत:

9.18.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया तथा इसकी संपुष्टि की।

एसी:09:19	विश्व मामलों के भारतीय परिषद (आईसीडबल्यूए) के साथ एमओयू

कार्यवृत:

9.19.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया तथा इसकी संपुष्टि की।

एसी:09:20	अनुसंधान परामर्शदायी समिति (आरएसी) का गठन

कार्यवृत:

9.20.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं प्रो.एआर रेड्डी ने सलाह दी कि अनुसंधान परामर्श समिति का प्रथम दल अधिकतम लाभ ले सक्ने के लिए सर्वोत्तम होना चाहिए। उनहोंने अध्यक्ष को आईआईटी /आईआईएससी आदि सहित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों) से संपर्क करने की सलाह दी।

9.20.2 तदनुसार उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों के साथ आरएसी के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। सदन ने विश्वविद्यालय हेतु एक विज़न दस्तावेज़ निर्माण करने के बारे में भी नोट किया जिसके लिए अध्यक्ष से प्रो.एआर रेड्डी एवं प्रो.रवि श्रीवास्तव को मार्गदर्शन हेतु लिखने का अनुरोध किया गया था।

9.20.3 अध्यक्ष सदन द्वारा दिए गए सुझाओ से सहमत हुए।

समूह III- मार्गदर्शन हेतु एवं सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए मद

एसी:09:21	**वर्ष 2011-12 हेतु परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफ डी)**

कार्यवृत:

9.21.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:09:22	**सम्बद्ध महाविद्यालयों पर रिपोर्ट**

कार्यवृत:

9.22.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:23	**एफ सीएनआर निकासी**

कार्यवृत:

9.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:24	**कागजातों पर संसदीय समिति का भ्रमण**

कार्यवृत:

9.24.1 इस मद को सचिव द्वारा मौखिक रूप से स्पष्ट किया गया तथा सदन ने नोट किया।

एसी:09:25	**वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट**

कार्यवृत:

9.25.1 सदन ने कार्यसूची के साथ संलग्नक के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट पर विचार किया। **प्रो.एआर रेड्डी** ने केंद्रीय उपकरणीय सुविधाओं का सुझाव दिया, जिसके लिए हालांकि उचित संरक्षण एवं रख-रखाव वांछनीय है। इसके इस्तेमाल के लिए तकनीकी श्रमशक्ति वांछनीय है। इस संबंध में सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय इनस्ट्रूमेंटेसन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बीई स्नातक की भर्ती पर विचार करे। इसके अलावा विश्वविद्यालय इन उपकरणों के प्रचालन के लिए एक डिप्लोमाधारी की भर्ती पर भी विचार करे।

9.25.2 अध्यक्ष ने सदन को आश्वस्त किया कि सुझावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

एसी:09:26	**द्वितीय शैक्षणिक परिषद के गठन का अनुमोदन**

कार्यवृत:

9.26.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:09:27	**सिक्किम विश्वविद्यालय के एससी/एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ेलोशिप योजना**

कार्यवृत:

9.27.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया तथा सिक्किम विश्वविद्यालय के फ़ेलोशिप प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया।

एसी:09:28	**पुस्तकालय पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत:

9.28.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:29	**विश्वविद्यालय हेतु सिलीगुड़ी स्थित भूमि अधिग्रहण**

कार्यवृत:

9.29.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:30	**अतिथि गृह के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित फ्लैट की खरीद**

कार्यवृत:

9.30.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:31	सिक्किम विश्वविद्यालय में एसटी हेतु राष्ट्रीय आयोग का भ्रमण

कार्यवृत्त:

9.31.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसे नोट किया।

एसी:09:32	अगले शैक्षणिक परिषद की बैठक आयोजित किया जाना

कार्यवृत्त:

9.32.1 सदन ने प्रथम शैक्षणिक परिषद के कार्यकाल के बारे में पूछा, जिसपर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि प्रथम शैक्षणिक परिषद के गठन पर सूचनाओं के प्रकाशन के आधार पर सदन का कार्यकाल 25.08.2011 को समाप्त होगा। तदनुसार, शैक्षणिक परिषद की अंतिम बैठक 20.08.2011 को सिक्किम में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था।

एसी:09:33	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त:

9.33.1 सचिव ने सदन के समक्ष निम्नलिखित मदों को विचारार्थ प्रस्तुत किया:

1. सरकारी महाविद्यालय, रेनौक का शैक्षणिक सत्र 2011-12 से अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु अनुरोध
2. आंतरिक गुणता आश्वासन पर अध्यादेश

सदन ने दोनों मामले में अध्यक्ष को यथावश्यक उचित कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया।

9.33.2 अध्यक्ष ने सदन के समक्ष नियमित आधार पर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती एवं विश्वविद्यालय में अल्प-सूचियन आदि के लिए अनुसरण की जा रही प्रविधि पर एक अतिरिक्त कार्यसूची मद प्रस्तुत किया। सदन ने इस पक्ष में अध्यक्ष द्वारा अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु बहुमूल्य सुझाव दिया।

9.33.3 समापन पूर्व, **प्रो.नीलिमा देशमुख** ने विश्वविद्यालय कैंपस हेतु यांगांग स्थित भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। इसपर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि मामले पर प्रधान मंत्री के कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.33.4 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

ह/-

(पीवी रवि)

कार्यवाहक कुसलचिव एवं वित्त अधिकारी,

सचिव,शैक्षणिक परिषद